



सत्यमेव जयते

कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल
(कृषि अनुसन्धान एवं शिक्षा विभाग)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
चयन भवन, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली-110012

AGRICULTURAL SCIENTISTS RECRUITMENT BOARD
(DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION)
MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA
Chayan Bhavan, Pusa Campus, New Delhi-110012



फा.सं./कृ.वै.च.मं./9(1)/2025-मूल्यांकन प्रकोष्ठ

दिनांक : 23 सितम्बर, 2025

सेवा में

भा.कृ.अनु.प. के समस्त अनुसन्धान संस्थानों/परियोजना निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/ब्यूरो के निदेशक/परियोजना निदेशक तथा ए.टी.ए.आर.आई. के निदेशकगण।

विषय: दिनांक 01-01-2009 से प्रभावी संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत कृषि अनुसंधान सेवा के वैज्ञानिकों के मूल्यांकन/पदोन्नति हेतु प्रस्ताव मंगाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- (i) भा.कृ.अनु.प. पत्र सं. 1(1)/2009-कार्मिक-IV दिनांक 6 मार्च, 2009
(ii) भा.कृ.अनु.प. पत्रों की सं. 9(1)/2010-कार्मिक-IV दिनांक 4 नवम्बर, 2011; 12 दिसम्बर, 2011 तथा पत्र सं. 9(1)/2012-कार्मिक-IV दिनांक 25 अप्रैल, 2012
(iii) कृ.वै.च.मं. पत्र सं. 5(3)/2012-मूल्यांकन कक्ष दिनांक 29 जुलाई, 2013
(iv) भा.कृ.अनु.प. पत्र सं. 9(1)/2010-कार्मिक-IV दिनांक 24 मार्च 2021

महोदय/महोदया,

संशोधित कैरियर उन्नयन योजना (सीएएस) के अंतर्गत उन वरिष्ठ वैज्ञानिकों (आरजीपी रु. 9000/-) के मूल्यांकन मामलों पर कृ.वै.च.म. विचार करेगा, जिन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिक (आरजीपी रु. 9000) पद में **31-03-2025 तक** न्यूनतम निर्धारित 3 वर्ष की अर्हक सेवा देकर प्रधान वैज्ञानिक के अगले उच्चतर पद में नियुक्त/पदोन्नत होने हेतु विचाराधीन होने के लिए पात्र बने हैं।

2. तदनुसार, केवल उन्हीं वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मूल्यांकन प्रपत्र (वैज्ञानिक द्वारा स्वयं भरा हुआ और संस्थान के निदेशक द्वारा प्रमाणित/सत्यापित) की तीन प्रतियाँ, जो उक्त कट-ऑफ तिथि (31-03-2025) तक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों, सचिव, कृ.वै.च.म. को **31-10-2025 तक** अग्रेषित की जाएँ। संस्थान का अग्रेषण प्राधिकारी सीएएस के अंतर्गत मूल्यांकन/पदोन्नति हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिकों की पात्रता सुनिश्चित करेगा।

3. भा.कृ.अ.प. द्वारा जारी संशोधित सीएएस संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों के आलोक में, यदि किसी वरिष्ठ वैज्ञानिक को मंडल ने संशोधित सीएएस के अंतर्गत संबंधित मूल्यांकन अवधि के लिए पहले विचार किया गया था, लेकिन नियत तिथि से प्रधान वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नति के लिए उसकी अनुशंसा नहीं की गई थी, तो वह पदोन्नति की नियत तिथि से 2 वर्ष के बाद अगले मूल्यांकन के लिए विचाराधीन होंगे। ऐसे वरिष्ठ वैज्ञानिकों के संशोधित मूल्यांकन अवधि के मूल्यांकन प्रपत्र की भी तीन प्रतियाँ **31-10-2025 तक** सचिव, कृ.वै.च.म. को भेजी जाएँ।

उदाहरण:- मान लीजिए, संशोधित सीएएस के अंतर्गत, एक वरिष्ठ वैज्ञानिक को 01-01-2020 से 31-12-2022 (पदोन्नति की नियत तिथि 01-01-2023), तक की मूल्यांकन अवधि के लिए प्रधान वैज्ञानिक के ग्रेड में नियुक्ति/पदोन्नति के लिए विचार किया गया था, लेकिन पदोन्नति के लिए अनुशंसित नहीं किया गया था। इस स्थिति में, अगले मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला उसका मूल्यांकन प्रोफार्मा 01-01-2022 से 31-12-2024 की मूल्यांकन अवधि से संबंधित होगा और उसकी पदोन्नति की संशोधित नियत तिथि 01-01-2025 होगी।

4. कृपया यह सुनिश्चित करें कि वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा अपने सीएएस प्रस्ताव (क्रमांक 1-क्रमांक 11बी) में प्रत्येक विशेषता के समक्ष दी गई सूचना/प्रविष्टि, अभिलेखों में बिना किसी भी प्रकार की नकल के, स्वयं निदेशक द्वारा उसकी वास्तविकता और क्रियात्मक योगदान के लिए विधिवत सत्यापित/प्रमाणित की गई हो। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के मूल्यांकन प्रपत्र के कॉलम संख्या 9 के समक्ष, यह स्पष्ट/साफ़ तौर पर बताया जाए कि क्या उम्मीदवार की वरिष्ठ वैज्ञानिक (आरजीपी रु. 9000) के रूप में पदोन्नति/नियुक्ति सीएएस के अंतर्गत है या कृ.वै.च.म. के माध्यम से पार्श्व प्रवेश के अंतर्गत है।

(हस्ताक्षर)

जारी...2/-

5. कृपया उम्मीदवार (वरिष्ठ वैज्ञानिक) के सीएस प्रस्ताव के लिए कृ.वै.च.म. वेबसाइट (www.asrb.org.in) पर अपलोडिड (डले हुए)/उपलब्ध प्रपत्र का उपयोग किया जाए। अपूर्ण प्रस्ताव और निर्धारित प्रारूप में न होने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और सीएस के इस कार्यक्रम के दौरान उन पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः अग्रेषण प्राधिकारी कृपया यह सुनिश्चित करवाएँ कि प्रस्ताव सभी पहलुओं से पूर्ण है।
6. अभ्यर्थियों/वरिष्ठ वैज्ञानिकों को सलाह दी जाती है कि वे अनुलग्नकों का सहारा लेने के बजाय, केवल प्रासंगिक मूल्यांकन प्रपत्र में दिए गए स्थान पर ही जानकारी प्रस्तुत करें।
7. अंतिम तिथि अर्थात् 31-10-2025 के बाद प्राप्त प्रस्ताव पर इस कार्यक्रम अवधि के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।
8. अभ्यर्थी के साथ-साथ संस्थान के निदेशक का मोबाइल नंबर/संपर्क नंबर/ईमेल आईडी भी अग्रेषण पत्र में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना चाहिए।

भवदीय


23/09/2025

(नरेश कुमार शर्मा)
निदेशक, कृ.वै.च.मं.

प्रति:

1. सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (भा.कृ.अ.प.) के निजी सचिव (सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (भा.कृ.अ.प.) के सूचनार्थ) के सूचनार्थ
2. निदेशक (कार्मिक), भा.कृ.अ.प., कृषि भवन, नई दिल्ली
3. गार्ड फाइल



कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल
(कृषि अनुसन्धान एवं शिक्षा विभाग)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
चयन भवन, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली-110012

AGRICULTURAL SCIENTISTS RECRUITMENT BOARD

(DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION)
MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA
Chayan Bhavan, Pusa Campus, New Delhi-110012



F. No./ ASRB/ 9(1)/2025-Assessment Cell

Dated the 23rd September, 2025

To

All the Directors of ICAR Research Institutes / Project Directorates / National Research Centres / Bureaux and ATARIs.

Sub. : Proposal for Assessment/Promotions of ARS Scientists under the revised CAS effective from 1.1.2009-reg.

Reference : (I) ICAR letter No. 1(1)/2009-Per.IV dated March 6, 2009.
(II) ICAR letters No. 9(1)/2010-Per.IV dated 4th November, 2011, 12th December, 2011 and letter No. 9(1)/2012-Per.IV dated 25th April, 2012.
(III) ASRB letter No. 5(3)/2012-Assess.Cell dated 29th July, 2013.
(IV) ICAR letter No. 9(1)/2010-Per.IV dated 24-03-2021.

Sir/Madam,

The ASRB is going to take up the assessment cases under the Revised Career Advancement Scheme (CAS) of those Sr. Scientists (RGP Rs. 9000/-) who have rendered the minimum prescribed 3 years of qualifying service in the grade of Sr. Scientist (RGP Rs. 9000) **upto 31-03-2025** for being eligible for consideration for placement/promotion to the next higher grade of Principal Scientist.

2. **Accordingly, three copies of Assessment Proforma** (duly filled in by the Scientist himself/herself and authenticated/verified by the Director of the Institute) **of only those Sr. Scientists who fulfil the eligibility criteria as on the said cut off date (31-03-2025) may be forwarded to the Secretary, ASRB latest by 31-10-2025.** Forwarding authority of the Institute shall ensure the eligibility of the Senior Scientist(s) for assessment/promotion under CAS.

3. In terms of the policy guidelines on Revised CAS, issued by the ICAR, if a Sr. Scientist, who was considered earlier by the Board under the revised CAS for the relevant assessment period, but was not recommended for promotion to the grade of Principal Scientist from the due date, he/she will be considered for next evaluation after 2 years from the due date of promotion. **Three copies of assessment proformae of such Sr. Scientists for the revised assessment period may also be forwarded to Secretary, ASRB by 31-10-2025.**

Illustration:- Suppose, under the revised CAS, a Senior Scientist was considered for placement/promotion to the grade of Principal Scientist for the assessment period from 01-01-2020 to 31-12-2022 (due date of promotion being 01-01-2023), but was not recommended for promotion. In such case, his/her assessment proforma required to be submitted for next evaluation would relate to the assessment period from 01-01-2022 to 31-12-2024, and his /her revised due date of promotion shall be 01-01-2025.

4. It may please be ensured that the information/entry given/made by the Sr. Scientist against each attribute in his/her CAS proposal (S.No.1-S.No.11B) is duly verified/authenticated by the Director himself/herself for its genuineness and actional contribution without any duplicacy of the records. Further, against Col. no. 9 of the assessment proforma of the candidate, it may be categorically/clearly stated whether the promotion/appointment of the candidate as Senior Scientist (RGP Rs. 9000) is under CAS or lateral entry through ASRB.

Contd....2/-

5. The proforma uploaded/available on the ASRB website (www.asrb.org.in) may please be used for CAS proposal of the candidate (Sr. Scientist). Incomplete proposal and the proposals not in the prescribed format will be rejected and will not be considered during this spell of program for CAS. Therefore, the forwarding authority may please arrange to ensure that the proposal is complete in all respect .

6. The candidates/Sr. Scientists may be advised that they furnish the information in the given space in the relevant assessment proforma only, rather than resorting to annexures.

7. The proposal received after the closing date i.e. 31-10-2025 will not be considered during this spell of program.

8. The mobile number/contact number/Email IDs of candidate as well as those of Director of the Institute may invariably be mentioned in the forwarding letter.

Yours faithfully,


(Naresh Kumar Sharma)
Director, ASRB

Copy to :

1. PPS to Secretary, DARE & DG, ICAR for kind information of Secretary (DARE) & DG, ICAR.
2. Director (Pers.), ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi.
3. Guard File